6) पर्यायवाची शब्द किन्हें कहा जाता है ?
7) पर्यायवाची शब्दों के कोई पाँच उदाहरण बनाईए ?
8) अनेकार्थी शब्दों से क्या तात्पर्य है ?
9) अनेकार्थी शब्दों के पाँच उदाहरण प्रस्तुत कीजिए ?
10) विलोम से क्या तात्पर्य है- सोदाहरण,समझाइए।

4.3.6 अर्थपरिवर्तन

शब्दों में निहित अर्थ सदैव एक सा नहीं रहता। यह अर्थ कैसे बदलता है, इसका अध्ययन भाषाविज्ञान के अर्थविज्ञान शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अर्थ परिवर्तन कभी एक दिशा में, निश्चित रूप में नहीं होता है, वह कब होता, कितने समय के बाद होता है या हर शब्द के बारे में होता ही है इसके बारे कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्थपरिवर्तन अनेक दिशाओं में होता है। कभी किसी शब्द का व्यापक अर्थों में व्यवहार होने लगता है तो कभी उसका क्षेत्र सिकुड़ जाता है। तो कभी विपरित अर्थ हो जाता है, या कभी नया अर्थ जुड़ जाता है। अर्थात कभी अच्छा या कभी बुरा अर्थ निकलता है। अर्थपरिवर्तन की यह प्रक्रिया जिस दिशा में होती है, इसके अध्ययन को भाषा विज्ञान में अर्थ-विकास या अर्थ-परिवर्तन की दिशा कहते है। अर्थ परिवर्तन के अन्तर्गत उसके विकास और ह्रास का अध्ययन किया जाता है।

4.3.6.1 अर्थपरिवर्तन की दिशाएँ

डॉ.भोलानाथ तिवारी ने अर्थपरिवर्तन की तीन दिशाएँ प्रस्तुत की है -

1) अर्थविस्तार 2) अर्थ-संकोच 3) अर्थादेश-साथ ही उन्होंने इसके अलावा अर्थोत्कर्ष तथा अर्थापकर्ष पर भी विचार किया है।

अब आप अर्थपरिवर्तन की इन दिशाओं का विस्तृत परिचय प्राप्त करेंगे।

(क) अर्थविस्तार - (Expansion or Widening of Meaning)

प्रसिद्ध अर्थ विज्ञानी 'ब्रील'(भड्डल'ड्ड्य) ने भी अर्थविकास की इन तीन दिशाओं को ही प्रमुख माना है।

अर्थ विस्तार से तात्पर्य है, अर्थ का विस्तृत या व्यापक हो जाना अर्थात् पहले कोई शब्द सीमित अर्थ में व्यवहत होता है और बाद में वह अधिक व्यापक अर्थपर या स्तर पर प्रयुक्त होने लगे तो वह अर्थविस्तार कहा जाता है। जैसे गिलास शब्द है। मूल रूप में यह अंग्रेजी के Glass से आया है। जिसका अर्थ है, कांच या शीशे से निर्मित पीने के लिए उपयोग मे लाया जानेवाला बर्तन - परंतु आजकल हम सोना,चांदी,तांबा,पीतल,या अन्य किसी भी धातु से निर्मित उस पात्र को गिलास कहते है। यहाँ गिलास शब्द का अर्थ विस्तार हुआ है। ऐसे सैंकडो शब्द आज हमारी भाषा में हम देखते हैं जिनका अर्थ का क्षेत्र व्यापक हो गया है।

वस्तुओं के नाम ज्यादातर उपाधियाँ और गुणों के आधार पर ही रखे जाते हैं। पीछे उनका रूढ़ और संकुचित अर्थ मात्र रह जाता है। ऐसी स्थिति में ये शब्द नाम विशेष से सामान्य हो जाते हैं। जैसे स्याही शब्द का मूल अर्थ है काली। (आज भी स्याह का अर्थ काला ही होता है।) पर स्याही के संदर्भ में आज किसी भी प्रकार की लिखनेवाली स्याही को स्याही कहा जाता है। चाहे वह लाल हो, नीली हो या काली। यहाँ स्याही विशेष अर्थ से सामान्य की ओर बढ़ गई है।

इसी प्रकार के अन्य शब्द है। तैल,प्रवीण, कुशल,गवेषणा,पंडित,रूपया,अधर गोहार, अभ्यास आदि।

कई बार बडे प्रसिद्ध महत्त्व के व्यक्तिवाचक शब्द भी जातिविषयक बनकर अपने अर्थ का विस्तार करते हैं। कालिदास, प्रेमचंद, विभीषण, गांधी, हिटलर, नारद,चाणक्य, जयचन्द आदि।

अर्थविस्तार आलंकारिक प्रयोगे सादृश्य,साहचर्य, सामीप्य आदि कारणों से होता है। अर्थविस्तार की और भाषा की प्रवृत्ति कम होती है। तो टकर के अनुसार यथार्थ में भाषा में अर्थविस्तार होता ही नहीं है।

(ख) अर्थसंकोच - (Contraction of Meaning)

जब शब्दो को अर्थ अपना व्यापक क्षेत्र को छोड़ कर सीमित अथवा संकुचित रूप में प्रयुक्त होने लगता है तब अर्थसंकोच होता है। जो अर्थविस्तार के बिल्कुल विपरित है। प्रसिद्ध विद्वान बील मानते है कि राष्ट्र या जाति जितनी अधिक

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University) Ladnun

(2)अर्थोत्कर्ष-

यह अर्थापकर्ष के बिल्कुल विपरित है। अर्थोत्कर्ष-का अर्थ है- अर्थ का उत्कर्ष अर्थात पहले निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होनेवाले शब्द कालांतर में उच्च तथा अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। अर्थोपकर्ष की अपेक्षा अर्थोत्कर्ष के उदाहरण अपेक्षाकृत कम मिलते हैं। साहसी शब्द का उदाहरण सब जानते हैं। संस्कृत में यह शब्द डाकू, दुराचारी के लिए प्रयुक्त होता था जो अब जीवट या हिम्मतवाला के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कर्पट, मुग्ध, इसी केउदाहरण है।

उपर्युक्त दोनों दिशाओं को अर्थसंकोच तथा अर्थ विस्तार के अन्तर्गत भाषा वैज्ञानिकों ने ही अंतर्भूत कर दिया है। तो कुछ इसे अलग दिशा मानकर इसके वैशिष्ट्य को अंकित करने का प्रयास करते हैं।

शब्द के अर्थ की यात्रा इन्ही दिशाओं में होती है। पर इसके पीछे क्या कारण है, कौनसी ऐसी परिस्थिति होती है जो शब्द अपने मूल को छोड़कर कभी व्यापक स्तर पर तो कभी संकुचित स्तर पर कभी अच्छे रूप में तो कभी बुरे अर्थ में प्रयुक्त होते जाते हैं।

4.3.7 अर्थ परिवर्तन के कारण

भाषा का महत्त्वपूर्ण कार्य अर्थ को, भाव को सम्प्रेषित करना है, जिसका माध्यम है शब्द। हर शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है पर यह व्यक्ति, परिवेश संदर्भ, समय के साथ बदलता है। यह परिवर्तन या बदलाव कैसे लेता है। अर्थात अर्थपरिवर्तन की तीन दिशाओं में शब्द का सफर किन परिस्थितियों में कैसे होता है, इसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं। यह जानना ही अर्थपरिवर्तन जानना है।

(1) बल का अपसरण -

किसी शब्द के उच्चारण में यदि एक ध्वनि पर बल पड जाए तो दूसरी ध्वनियाँ निर्बल और कमजोर होकर समाप्त हो जाती है। इसी तरह अर्थ में बल प्रधान पक्ष से हट कर जब अन्य पक्ष पर आ जाता है तब अर्थभेदकारी बल का अपसरण कारण घटित होता है।

अ) गोस्वामी शब्द पहले गायों के स्वामी के लिए प्रयुक्त होता था। गाय धन का प्रतीक थी और धार्मिक दृष्टि से भी पूजनीय है। इसलिए सम्मानित और धार्मिक व्यक्ति गोस्वामी कहलाया गया। आगे चलकर इंद्रियों का स्वामी अर्थात् संत पुरूष के लिए यह शब्द आया और आज यह तुलसीदास अर्थ देता है।

ब) ड्रेस - फ्रेंच और पुरानी अंग्रेजी में इसका अर्थ है सीधा करना / काटना, घाँटना, सफाई करना, सजाना है। जैसे - घाव की पट्टी करना ड्रेसींग, बच्चों की स्कूली पोशाख और पुलिस की विशेष पोशाख। दरिया - फारसी शब्द दरिया का अर्थ है नदी। परंतु महाराष्ट्र और गुजरात में समुद्र के अर्थ में प्रचलित है कारण अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ समुद्रवत दिखायी देती है - इसलिए वहाँ दरिया का अर्थ समुद्र हो गया।

अन्य शब्दों में कापी - प्रतिलिपि बही

जुगप्सा गोपालन छिपाना घृणा

(2) पीढ़ी परिवर्तन -

दो अथवा उससे अधिक पीढ़ियों के बाद जो अन्य परिवर्तन आते है उनके साथ-साथ भाषा और अर्थ में भी परिवर्तन आते हैं। शब्द तो वही रहता है पर वस्तु नयी हो जाती है। जैसे -पत्र शब्द-प्रारंभ में लोग पेड़ के पत्ते पर अथवा पत्र पर लिखते थे और उसे पत्र कहा जाता था। बाद में भोज वृक्ष की छाल को लेखन सामग्री के रूप में उपयोग में लाया जिसे भोजपत्र कहते है। धातु की तख्तियों पर भी लिखा जाता है। जिसे क्रमश: स्वर्णपत्र, रजतपत्र, ताम्रपत्र कहा जाता है। पतले वर्ख को भी पत्र कहा जाता है। आजकल कागज पर लिखा जाता है जो पत्र कहलाता है। लिखित संदेश का साधन पत्र है। समाचार पत्र, टिन का पत्रा इसी के रूप है। तेल, कुशल, प्रवीण ऐसे ही शब्द है।

(3) परिवेश परिवर्तन -

भौगोलिक परिवेश सामाजिक परिवेश और भौतिक तथा राजनीतिक परिवेश के कारण शब्दों के अर्थ में परिवर्तन

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University) Ladnun

आ जाता है।

भौगोलिक वातावरण के कारण शब्दों के अर्थ में आए हुए परिवर्तन के उदाहरण है- कॉर्न - अंग्रेजी में कॉर्न का अर्थ गेहूँ। स्कॉटलैंड में बाजरा है। अमरिका में मक्का है।

ठाकुर शब्द उत्तर प्रदेश में क्षत्रियवाचक बिहार में नाई-वाचक, बंगला में रसोईए का वाचक तो राजस्थान में इसका अर्थ भिन्न है।

ऋग्वेद में उष्ट्र शब्द भैंसावाचक है, मरूभूमि में आर्यों ने ऊँट को देख कर उसे ऊँट के अर्थ में प्रयुक्त किया।

सामाजिक वातावरण के कारण भी शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। घर में पिता, माता, बहन, के आत्मा अर्थ है तो चर्च में धर्मगुरू, इसाई उपदेशकार (मदर टेरेसा) तो अस्पताल में नर्स के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

पाठशाला का संस्कृत में अर्थ विद्यालय, मदरसा अरबी - फारसी का विद्यालय तो स्कूल अंग्रेजी विद्यालय, कॉलेज, उच्च शिक्षा का विद्यालय अर्थ देते है। जबकि ये शब्द मूलत: पर्यायवाची है। डॉक्टर, वैद्य, हकीम, मूलत: चिकित्सक है पर इनके अर्थ अलग-अलग है।

भौतिक परिवेश के कारण भी अर्थपरिवर्तन घटित होता है। जैसे शीशा - एक अर्थ दर्पण, दूसरा अर्थ धातु, तीसरा अर्थ काँच है।

गिलास का अंग्रेजी में अर्थ है काँच परंतु हिन्दी में गिलास का अर्थ पानी पीने का पात्र भले ही पर पीतल, तांबा, स्टील, प्लॅस्टीक का क्यों न हो। पेन शब्द Pinna से बना है। जिसका अर्थ है मोरपंख की लेखनी परंतु आज उसका अर्थ पेन हो गया है।

राजनीतिक परिवेश के कारण अर्थपरिवर्तन घटित होता है। पार्टी (राजनीतिक दल), होममिनिस्ट्री (गृहमंत्रालय), दो राजनीतिक दलों की संधि, आयोग, आदि राजनीतिक परिवेश के शब्द है।

कई बार प्रथा बदल जाने पर भी अर्थ बदल जाता है। जैसे यजमान का अर्थ यज्ञ करानेवाला था पर आज कल होस्ट के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बजरबट्टू का अर्थ मूर्ख हो गया।

(4) सामान्य व्यवहार में आनेवाले शब्द-

दैनिक व्यवहार में आनेवाले शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। कलम माली के लिए, पौधे के अर्थ में, छात्र के लिए लेखनी के अर्थ में प्रयुक्त होती है। बेंत शब्द के भी अनेक अर्थ है - टहलने के समय की छड़ी बेंत से बनी कुर्सी और अध्यापक के लिए बेंत डण्डे के रूप में अर्थ देती हैं। वर का अर्थ पूर्व में श्रेष्ठ अर्थ था अब दूल्हे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। दुल्हा शब्द भी दुर्लभ से बना है।

(5) अज्ञान या भ्रांति -

अज्ञान तथा भ्रांति के कारण शब्दों का अर्थ मूलवाला नहीं रहता, नया अर्थ आ जाता है।

असुर शब्द पहले देववाचक था असुर में का अ निषेधसूचक समझ लिया गया इसलिए सुर शब्द का अर्थ हो गया देव और असुर का राक्षस अर्थ हो गया। संस्कृत का धन्यवाद प्रशंसासूचक था अब यह आभार सूचक हो गया। निखालिस में नि की आवश्यकता ही नहीं है। नेबर को नेबरर कहना अज्ञानसूचक है।

पांडित्यप्रदर्शन के लिए लोग बन कर बोलते हैं। ज्ञान परिज्ञान, सम्मेलन समागम,

अज्ञान अर्थपरिवर्तन का कारण अन्य भाषा के संदर्भ में ज्यादा कार्य करता है।

(6) अर्थगत अनिश्चितता -

सही अर्थ की जानकारी का न होना, अर्थगत अनिश्चितता है। समानार्थी शब्दों में इस तरह की भूलें प्राय: दिखाई देती है। जैसे - क्लेश - वेदना, पीड़ा, व्यथा, यातना के अपने अलग अर्थ है पर वे एक-दूसरे के पर्याय में प्रयुक्त होते हैं। प्रेम-प्रीति, प्रणय, स्नेह, वात्सल्य के अपने-अपने अर्थ है। कामिनी, ललना, वनिता, सुंदरी, वामा के अपने अर्थ होने के बावजूद भी स्त्री के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी सामान्य जातियाँ बन गई हैं।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University) Ladnun

(7) अंधविश्वास-

लोक में प्रचलित गहन विश्वास के कारण शब्दों के अर्थों में हेराफेरी होती है। जैसे - लोक में विश्वास है कि अपने गुरू का, बड़े बेटे का, पत्नी का, तथा पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए यदि नाम लिया गया तो उनकी उम्र घट जाती है। इसलिए गुरूजी, आचार्यजी, भगवान (गुरू के लिए), बडे बेटे के लिए - बड़कउ, मुन्ना, बिटवा, दादा स्त्रियाँ पति के लिए ए, जी, मुन्ने के पापा, ऊ आदमी, तो पति पत्नी के लिए, मालकिन, घरवाली, बिटवा की माँ आदि कहते हैं।

अपना नामवाला साथी को उसके नाम से नहीं पुकारा जाता। मीत या सहनाऊ कहते हैं।

ऐसा भी लोकविश्वास है कि सुबह-सुबह कंजूष आदि कहने से भोजन नहीं मिलता। इसलिए उनके नामों को घुमाफिरा कर कहते हैं।

रात में बिच्छू, साँप आदि के लिए कीड़ा-जानवर, चेचक को शीतला माता कहते हैं।

(8) लाक्षणिकता अथवा अलंकारिकता प्रयोग-

साहित्यकार अपने भावों को आकर्षक, सुंदर तथा कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। उसके द्वारा प्रचलित शब्द नवीन अर्थ में प्रचलित हो जाता है। इनके प्रयोग से अर्थ में विशेषता और नवीनता आ जाती है। जैसे मीठे- बोल, कटु अनुभव, सरस प्रसंग, भयानक आनंद, रूखी हँसी। मुहावरों का प्रयोग - जैसे घर का भेदी लंका ढाए, चाँद - सा मुख, चार-चाँद लग जाना, रेगिस्तानी हरियाली, इन विद्वानों को बृहस्पति भी नहीं समझा सकता, बिना पेंदी का लोटा। पत्थरदिल।

स्थूल वस्तुओं को भी बिम्बालक रूप से प्रस्तुत किया जाता है - चने की नाक, सुई का मुँह, आरी के दाँत, नारियल की जटा, नारियल की आँख, सारंगी के कान आदि।

इस तरह अलंकारिक प्रयोगों के कारण अर्थपरिवर्तन घटित होता है।

(9) व्यंग्य-

व्यंग्योक्ति के कारण अर्थ पूर्णतया बदल जाता है। व्यंग्य के कारण प्राय: शब्दों में विपरित अर्थ आ जाता है और वे शब्द परिवर्तित अर्थ का ही संकेतन करते हैं। मूर्ख को पंडित,अंधे को नैनसुख, झूठे को हरिश्चंद्र का अवतार,कुरूप को कामदेव, भिखारी को कुबेर कहना व्यंग्यात्मक ही है। मोटे आदमी को दुबले कहना, नाम तो सुजान पर कुछ न जानना आदि अप्रस्तुत अर्थ व्यंग्य के कारण ही प्रकट होता है।

(१०) तद्भवता-एक ही शब्दों के दो रूपों का प्रचलन

उद्गम की दृष्टि से शब्द के तत्सम,तद्भव, देशराज और विदेशी ऐसे चार प्रकार बनते है। तत्सम शब्द का रूप बदलकर तद्भव हो जाता है तो उस शब्द का मूल अर्थ वही रहना चाहिए पर भाषा में ऐसा नहीं होता। भाषा ऐसा व्यर्थ का बोझ वहन नहीं करती। अर्थपरिवर्तन होकर उत्तम अर्थ तत्सम में और अर्थ का निम्न हो जाना तद्भव में दिखाई देता है। जैसे ग्रामीण-गाँव में रहनेवाला (तत्सम) गँवार (तद्भव-मूर्ख), गर्भिणी (तत्सम-नारी के लिए प्रयुक्त) गाभिन (तद्भव-पशुओं के लिए)

कुछ अन्य शब्द है- श्रेष्ठ सेठ,स्थान थान, स्तन थान, ब्राह्मण बामन, तिलक टीका, आदि।

(११) अन्य भाषाओं से शब्द उधार लेना-

जब कोई शब्द अपनी भाषा से दूसरी भाषा में चला जाता है तो अर्थ पीछे छुट जाता है, नया अर्थ देने लगता है। फारसी में मुर्ग-शब्द पक्षी वाचक है, संस्कृत में मृग शब्द पशुवाचक है हिन्दी में मृग शब्द का अर्थ हिरन हो गया और मुर्ग का अर्थ मुर्गा (पक्षीविशेष) हो गया है।

द्रविड भाषा का शब्द पिल्ला बच्चे के लिए प्रयुक्त होता है। परंतु हिन्दी में यह शब्द कुत्ते-बिल्ली के बच्चों के लिए आता है।

अंग्रेजी का क्लॉक दीवार घडीवाचक था गुजराती में कलाक का अर्थ एक घण्टा हो गया। संस्कृत का धान्य शब्द अन्न सूचक है, हिन्दी में धान चावल सूचक है। पाव ब्रेड के लिए हिन्दी में डबलरोटी शब्द चलता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University) Ladnun

हिन्दी का नीला शब्द गुजराती में लिलो होकर हरे रंग का अर्थ देता है ।

(१२) नवीन वस्तुओं नामकरण-

नवीन वस्तुओं का निर्माण मानव समाज अपनी आवश्यकतानुरुप करता है । अपनी सीमित शब्द संपत्ति के द्वारा उनका नामकरण रखता है । शब्द वही रहते है, अर्थ नया आ जाता है । जैसे-कलम शब्द के लिए आज पेन शब्द का प्रयोग होता है । टाईपराईटर के लिए हिन्दी में कोई शब्द नहीं था पर टाँकने की कला थी इसलिए टंकन शब्द आया । वायर के लिए तार शब्द आया, रेडिओ के लिए आकाशवाणी, टेलीविजन के लिए दूरदर्शन,ॲटम के लिए परमाणू । सैटेलाईट के लिए उपग्रह एनर्जी के लिए ऊर्जा,ग्रंथ के लिए पुस्तक,दण्ड यानि जुर्माना ऐसे शब्द प्रचलित हुए।

(१३) अशोभन के लिए शोभन-सुश्राव्यता

सुनने में जो अच्छा हो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना । भाषा संस्कार तथा सुरूचि की अभिव्यक्ति का साधन है । सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य में इन तत्त्वों का विकास हुआ । अश्लीलत्त्व के अंतर्गत कुछ ऐसी चीजे है जो मनुष्य के हृदय में लज्जा उत्पन्न करती है, कुछ घृणा निर्माण करती है । उन्हें देखने-सुनने में मनुष्य को संकोच होता है । इसलिए जब उनके बारे में कहा जाता है तो सीधे न कह कर प्रकारान्तर से अभिव्यक्ति की जाती है । वे इस प्रकार है ।

व्रीडा (लज्जा) - इसके अंतर्गत यौन संबंधी या मल मूत्र संबंधी शब्द आते हैं । जैसे-'मलत्याग के लिए पाखाना, मैदान जाना, दीर्घ शंका, मूत्रत्याग के लिए लघुशंका,गर्भावस्था को पाँव भारी होना कहकर सूचित किया जाता है ।

जुगुप्सा- इसका प्रयोग घृणा के लिए होता है। घृणास्पद वस्तुओं को, बातों को समाज वर्ज्य मानता है । नाक बहना, पीव निकलना, मक्खियाँ भिनभिनाना आदि प्रयोग शिष्टता के अनुकूल नहीं माने गये है ।

अमंगल-भयंकर व्याधि, मृत्यु आदि से संबंधित शब्द से मनुष्य बचना चाहता है । इसलिए मृत्यु के लिए पंचतत्त्व में विलिन होना, स्वर्गवास, चेचक की बीमारी को माता कहना, दुकान बंद करने को बड़ी करना, दीपक बुझना न कहकर बड़ा किया ऐसा कहा जाता है । मांग सूनी होना चूड़ी बड़ी होना भी ऐसे ही शब्द है।

उपर्युक्त बातों को अशोभन के लिए शोभन का प्रयोग कहा जाता है । अमंगल के लिए मंगल शब्दों का प्रयोग, अशुभ के लिए शुभ शब्दों का प्रयोग के कारण अर्थ परिवर्तन होता है ।

(१४) सामान्य के लिए विशेष शब्द का प्रयोग-

कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई एक शब्द ही उस वर्ग का प्रतिनिधि होकर सूचन करने लगता है । जैसे स्याह शब्द से बना है स्याही । लेखन में काम आनेवाला द्रवप्रदार्थ । इस अर्थ में काली स्याही शब्द मूल अर्थ था पर आज हर रंग की स्याही के लिए प्रयुक्त होता है । सब्ज का अर्थ हरा होता है । सब्जी का अर्थ है हरी तरकारी परंतु आज सभी तरकारी के लिए ये शब्द चलता है । आलु से लेकर बेगन तक सब्जी ही कही जाती है । कभी-कभी एक शब्द के दो रूप बना लिए जाते है जिससे लिंगसूचन होता है । जैसे शिक्षक-शिक्षिका, मजदूर-मजदूरनी, कृषक-कृषिका,डॉक्टर-डॉक्टरनी ।

(१५) अधिक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना-प्रयत्नलाघव

मनुष्य का स्वभाव होता है कि कम -से-कम श्रम में अधिक से अधिक काम करें । स्वन विज्ञान में हमने कम बोलने के अर्थ में प्रयत्नलाघव या मुखसौकर्य का विवेचन किया है । यहाँ अर्थ में भी इसी प्रवृत्ति के दर्शन होते है । जैसे-रेल्वे स्टेशन-स्टेशन, बस स्टैण्ड-स्टैण्ड,ऑटोरिक्शा-रिक्शा, पाठशाला शाला, बाइसिकल-साईकिल आदि

(१६) शब्दों के प्रयोग की अतिशयता-

शब्दों का अधिक प्रयोग करने से वे घीस जाते है । साथ ही उनकी अर्थवत्ता की चमक कमजोर हो जाती है । श्री-श्रीमान, श्रीयुत, अपनी प्रारंभिक अर्थवत्ता को खो चुके है । बाबु, साहब, सर, गुरू, भैय्या, भाई, क्रांति, संस्कृति, परम्परा, नेताजी आदि शब्द प्रभावहीन हो गये है ।

अर्थपरिवर्तन के प्रमुख कारणों का विवेचन से परिचय आपने यहाँ पाया । इनके अलावा भी अनेक कारण ऐसे हैं जो शब्द के अर्थ में नवीनता, रोचकता और आकर्षकता को लाते हैं । उपहास,उपालंभ,निंदा, व्याजोक्ति, पैरोडी किसी के प्रति

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

हमारे मनोभाव,भाषांतरण, पारिभाषिक शब्दावली,नवीन प्रक्रिया आदि भी अर्थ परिवर्तन में सहायता पहुँचाते है । आप अपने परिवेश से ऐसे शब्दों को एकत्रित कीजिए।

(17) साहचर्य के कारण गौण अर्थ की प्रमुखता

तंबाकू का आगमन इस देश में सूरत बन्दरगार पर हुआ बाद में उसका प्रसार सारे देश में हुआ। इसीकारण तम्बाकू को सूरती कहते है । केसर को काश्मिर इसी साहचर्य के कारण कहा जाता है ।

(18) प्रकरण भिन्नता

एक ही शब्द के अनेक भेद होते हैं । परंतु प्रसंगानुकूल प्रकरण के आधार पर उस शब्द का वैसा ही अर्थ लगा लिया जाता है । हर एक व्यक्ति एक शब्द को उसी अर्थ में नहीं लेता है जिस अर्थ में दूसरा ग्रहण कहता है । जितनी समुदाय की घनिष्ठता कम होती जाएगी उतना ही अर्थ परिवर्तन आता जाएगा । सैन्धव (घोड़ा-नमक), कर (टॅक्स-हाथ) प्रकरण भिन्नता से अर्थ निकाला-जाता है ।

(19) व्यक्ति के अनुसार शब्दों की प्रत्यय में भेद-

अर्थात व्यक्तिगत योग्यता के कारण भी अर्थ में परिवर्तन होता है । व्यक्ति के संस्कार, परिवेश, शिक्षा, जीवन प्रणाली आदि के भेद से शब्दों का जो प्रत्यय मन में उत्पन्न होता है वह भिन्न होता है। विभिन्न व्यक्तियों के मन में एक ही शब्द से विभिन्न प्रत्यय उत्पन्न होते हैं । शून्य शब्द का अर्थ दार्शनिक, गणितज्ञ, गृहस्थ वैज्ञानिक के लिए अलग अलग होगा ।

ख) स्वयं अध्ययन के प्रश्न

निम्नलिखित शब्दों के अर्थ में परिवर्तन के कौन से कारण है बताइए - (१)गोस्वामी-(२) पेन- (३) गँवार- (४) दिया बड़ा होना- (५) आ,जी (६) थान (७) गिलास (८) श्रीमान- (९) गट्टे की सब्जी (१०) दिशा मैदान जाना

4.4 स्वयं अध्ययन के प्रश्न के उत्तर

क) संक्षेप में उत्तर दीजिए ।

1) प्रत्येक सार्थक शब्द अपना एक अर्थ या भाव या विचार रखता है । अर्थात शब्द के उच्चारण द्वारा जो प्रतीत होती है उसे अर्थ कहते है ।

2) शब्द और अर्थ का अभिन्न संबंध है । अर्थ को जानने के लिए शब्द का ही सहारा लिया जाता है । शब्द से किसी निश्चित वस्तु या अर्थ का बोध होता है । भाषा के प्रतीक ये शब्द अर्थबोध कराते है। शब्द शरीर है तो अर्थ उसकी आत्मा है ।

3) ध्वनि या शब्द के साथ वस्तु का संबंधस्थापन अर्थबोध कहलाता है । अर्थबोध के आठ साधन माने गये हैं-वे ये है- व्यवहार, आप्त वाक्य, व्याकरण, उपमान ,कोश, वाक्यशेष या प्रकरण, विवृत्ति तथा प्रसिद्ध पद का सान्निध्य ।

4) भाषा की संपन्नता उसके शब्द भंडार पर निर्भर होती है । हमारे पास जितना अधिक शब्द भंडार होगा उतनी ही मात्रा में हमारी अभिव्यक्ति प्रभावी होती है । सटीक शब्दों का प्रयोग अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है । इसलिए भाषा की संपन्नता उसके शब्द भंडार पर निर्भर होती है ।

5) शब्दों के वर्गीकरण के प्रमुख पाँच आधार भाषा वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गये है । जैसे स्रोत के आधार पर तत्सम,तद्भव, देशज,विदेशी, रचना के आधार पर रूढ, यौगिक,योगरूढ, व्याकरण के आधार पर विकारी, अविकारी, प्रयोग के आधार पर सामान्य, पारिभाषिक और अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है ।

6) किसी विशिष्ट भाषा में प्रचलित एक ही व्याकरणगत शब्द भेद वाले ऐसे दो या अधिक शब्द पर्याय कहलाते हैं जो मूलत: एक ही व्यक्ति पदार्थ, भाव या व्यापार के बोधक हो, किन्तु जिनमें कुछ-न-कुछ भिन्न अर्थच्छाया भी विद्यमान हो ऐसे शब्द पर्यायवाची कहे जाते है ।

7) पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण इस प्रकार है -

आँख-नेत्र,नयन,लोचन,चक्षु,दृग,आक्षि।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University) Ladnun

आकाश-गगन, अम्बर, नभ,आसमान, अभ्र।
सरोवर-जलाशय,तालाब,ताल,तड़ाग।
मधुकर -भौंरा,मधुप, अलि,षटपद, भ्रमर।
हरि-विष्णु,केशव, धनंजय, नारायण, दामोदर।

8) अनेकार्थी शब्द से तात्पर्य है, जब एक शब्द अनेक अर्थो का द्योतन करें तो उसे अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। इनका प्रयोग प्रसंगानुसार किया जाता है।

9) अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं -
अक्ष-आँख,सर्प,पहिया,धुरी।
खग-पक्षी,तारा,गंधर्व।
मधु-शराब,शहद,वसंत।
हरि-विष्णु बंदर,शराब।
गुण-रस्सी,शील,स्वभाव।

10) एक-दूसरे के विपरित अर्थ के द्योतक शब्द विलोम कहलाते है। जिनका निर्धारण अर्थ के आधार पर होता है। जैसे अमृत-विष,गीला-सूखा,मालिक-नौकर आदि इसलिए शब्द की विभिन्न अर्थच्छयाओं के अनुसार विलोम शब्द भी बदल जाते है।

ख) निम्नलिखित शब्दों के अर्थ में परिवर्तन के कारण बताईए।

1) गोस्वामी - बल का अपसरण
2) पेन - अन्य भाषाओं से शब्द उधार लेना। नवीन वस्तुओं का निर्माण
3) गँवार - तद्भवता
4) दिया बड़ा होना - अशुभ के लिए शुभ का प्रयोग
5) ओ,जी - अंधविश्वास
6) थान - तद्भवता
7) गिलास - परिवेश परिवर्तन
8) श्रीमान - शब्दों के प्रयोग की अतिशयता
9) गट्टे की सब्जी - सामान्य के लिए विशेष शब्द का प्रयोग
10) दिशा मैदान जाना- अशोभन के लिए शोभन (व्रीडा)

4.5 इकाई का सारांश

भाषा अर्थवान स्वनों का समूह है। शब्द शरीर है तो अर्थ उसकी आत्मा है। अर्थतत्त्व के संबंध में ऋग्वेद, महाभारत के वनपर्व, शतपथ ब्राह्मण,निरूक्त, न्यायमीमांसा, व्याकरणशास्त्र, वाक्यपदीय आदि ग्रंथो में विचार हुआ है।

19 वी शताब्दी मे माइकेल ब्रील ने सिमेंटिक्स शब्द का प्रयोग किया जो शब्दार्थ का नियम, शब्दों के अर्थों में परिवर्तन के विकास और इतिहास का क्रमबद्ध विचार-विमर्श है।

डॉ.भोलानाथ तिवारी के मत से अर्थविज्ञान में अर्थ का अध्ययन होता है। भाषा की परिभाषा में सार्थक ध्वनियों का समूह पदावली का प्रयोग भी यही बात सूचित करता है। भाषाविज्ञान में निरर्थक ध्वनिसमूह का कोई महत्त्व नहीं है। आचार्य पाणिनि तो अर्थ को भाषा का सार मानते हैं।

अर्थ को प्रकट करने के लिए शब्द का आधार लिया जाता है। किसी शब्द से अर्थ का ज्ञान स्वयं किसी चीज का अनुभव करके होता है या फिर दूसरों के अनुभव द्वारा होता है। इन दोनों रूपों में अर्थ की प्रतीति होती है।

शब्द और अर्थ का अभिन्न संबंध है। शब्द भाषा के प्रतीक हैं जो हमे अर्थबोध कराते हैं। शब्द से ही किसी निश्चित वस्तु का अर्थबोध होता है। कारण प्रत्येक वस्तु के साथ जुडा शब्द (प्रतीक) मनुष्य के मस्तिष्क में बिंब अंकित करता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University) Ladnun

इसलिए वस्तु देखते ही उससे जुड़ा शब्द भी सामने आ जाता है। शब्द और अर्थ को लेकर विद्वानों ने अनेकानेक मत प्रस्तुत किये हैं। शब्द है तो उसका अर्थ अवश्य है और अर्थ के रहने पर ही शब्द की वाक्य संघठन में सार्थकता मानी जाती है।

परंतु शब्द का इतना ही सीमित अर्थ नहीं है। अर्थ का अभिप्राय बुद्धिगत भाव से भी है। शब्द जिस बुद्धिगत भाव को व्यक्त करते है। उसी को अर्थ कहते है। प्रतिभा, ज्ञान, अनुभव और ग्रहणशक्ति भिन्न होने से अर्थ का स्वरूप भिन्न हो जाता है। कारण एक ही शब्द विभिन्न सन्दर्भो में अलग-अलग अर्थ का वाचक हो जाता है। भारतीय परम्परा में अर्थबोध के आठ साधन माने गये हैं। ध्वनि या शब्द के साथ वस्तु का संबंध स्थापन ही अर्थबोध या संकेतग्रह कहलाता है। व्यवहार, आप्तवाक्य, व्याकरण, उपमान,कोश, वाक्यशेष, विवृत्ति या व्याख्या तथा प्रसिद्ध पद का सान्निध्य ये साधन हैं जो अर्थ निर्णय करते हैं। बिना इनके अर्थ ज्ञान संभव नहीं है। भाषा विज्ञान की एक शाखा शब्द विज्ञान है। जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, वर्गीकरण, शब्दसमूह में परिवर्तन के कारण और दिशाएँ, शब्दों का निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। अभिव्यक्ति में सटीक शब्दों का प्रयोग अपनी विशिष्ट भूमिका निभाता है। इसलिए शब्द की ध्वनि संरचना एवं अर्थ संरचना का अध्ययन भी आवश्यक है। भाषावैज्ञानियों ने इन शब्दों को अलग-अलग आधारों पर विभिन्न वर्गों में बाँटा है - जैसे

1) स्रोत या इतिहास के आधारपर-तत्सम, तद्भव, देशज, आगत और संकर शब्द बनते हैं।
2) रचना के आधार पर -रूढ,यौगिक तथा योगरूढ शब्द हैं।
3) व्याकरण के आधार पर -विकारी तथा अविकारी।
4) प्रयोग के आधार पर- सामान्य, पारिभाषिक या तकनीकी और अर्धपारिभाषिक।
5) अर्थ के आधार पर-एकार्थवाची, अनेकार्थवाची,पर्यायवाची,विपरितार्थ तथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।

अर्थ के आधारपर पर्यायवाची या पर्यायी शब्द का विचार किया गया है। इन्हें समानार्थी,प्रतिरूप शब्द भी कहते हैं। अर्थ की समानता होते हुए भी इनका प्रयोग एक-सा नहीं होता कारण पर्यायों में अर्थच्छाया का अन्त होता है। पर्याय वे ही शब्द कहला सकते हैं जो एक ही व्यक्ति, वस्तु,भाव या क्रिया के द्योतक हो।

हिन्दी में तत्सम पर्यायवाची शब्द अधिक पाए जाते हैं। जो संस्कृत से है कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है-

अमृत - पीयुष,सुधा
आकाश - गगन,अम्बर, नभ, अभ्र,आसमान,अनंत
कामदेव - मदन,मनोज, मन्मथ, पंचशर
दर्पण - आईना, आरसी, मुकुर शीशा।
सोना - कनक, सुवर्ण,हेम,हाटक,कंचन

हिन्दी में कुछ शब्द ऐसे है जिनके अनेक अर्थ होते हैं। भिन्न-भिन्न प्रसंगों के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। अनेकार्थक शब्दों का अर्थनिर्णय के लिए भर्तृहरि ने "वाक्यपदीय" में चौदह साधन बताए है।

1) संयोग- जहाँ अनेकार्थक शब्दों का निश्चय किसी प्रसिद्ध संबंध के आधार पर होता है। जैसे गोवत्सवत्स के संयोग अर्थ गाय होगा।
2) वियोग- संबंध अभाव वियोग कहलाता है।
3) साहचर्य का अर्थ है - सदा साथ रहना-जैसे-राम-लक्ष्मण, दाशरथी पुत्र अर्थ होगा।
4) विरोध-पारस्परिक वैमनस्य से भी अर्थ का निश्चयन होता है।
5) अर्थ - अर्थात प्रयोजन जन वाचक शब्द यहाँ अर्थ हो।
6) प्रकरण-प्रसंग से अर्थ निर्णय होता है।
7) लिंग-यहाँ लिंग का अर्थ ऐसे विशेष चिन्ह से है जिससे किसी विशेष अर्थ का बोध होता है। जैसे खाना खाते समय सेंधव का अर्थ नमक होगा।
8) अन्य शब्दों का सान्निध्य- शब्दों की पारस्परिक निकटता से भी निर्णय होता है।
9) सामर्थ्य -किसी कार्य के संपादन में किसी वस्तु की शक्ति का उपयोग सामर्थ्य कहलाता है।
10) औचित्य-योग्यता के आधार पर अर्थ का निर्णय यहाँ लिया जाता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University) Ladnun

11) देश-स्थानविशेष की विशेषता को देश कहा जाता जिससे अर्थ निर्णय होता है।
12) काल-अर्थात समय से अर्थनिर्णय का होना।
13) व्यक्ति - कहने वाला कौन है इसके आधार पर अर्थ निर्णय किया जाता है।
14) स्वर-आरोह-अवरोह या स्वरभेद से अर्थ भेद हो जाता है।

कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है
अक्षर-ब्रह्म,वर्ण,सत्य,गगन,शिव
कनक-सोना,धतुरा
गुरू-शिक्षक,ग्रहविशेष,श्रेष्ठ गुरू
उत्तर-दिशा,जबाब,पश्चात्
महावीर-हनुमान,बलवान, जैन-तीर्थंकर,

एक दूसरे के विपरित अर्थ के द्योतक शब्दों को विलोम या विपर्यय कहा जाता है। विलोम का निर्धारण अर्थ के आधार पर होता है। इसलिए शब्द की विभिन्न अर्थच्छटयाओं के अनुसार उसके विलोम शब्द भी बदल जाते हैं- कुछ विलोम शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं।

रात-दिन | नगर-ग्राम
सूखा-गिला,हराभरा | हँसना-रोना
उत्तीर्ण - अनुत्तीर्ण | छाँह-धूप

उपर्युक्त शब्दों का परिचय करने के बाद यह दिखाई देता है कि शब्दों में निहित अर्थ सदैव एक-सा नहीं रहता। इसका अध्ययन भाषाविज्ञान के अर्थविज्ञान शाखा के अन्तर्गत किया जाता है। अर्थपरिवर्तन अनेक दिशाओं में होता है। अर्थपरिवर्तन की यह प्रक्रिया जिस दिशा में होती है उसे अर्थ परिवर्तन की दिशा कहते हैं।

डॉ.भोलानाथ तिवारी ने अर्थ परिवर्तन की तीन दिशाएँ बताई जाती है- अर्थविस्तार, अर्थसंकोच और अर्थादेश इसके अलावा अर्थोत्कर्ष तथा अर्थापकर्ष पर भी उन्होंने विचार किया है।

अर्थ विस्तार अर्थ का व्यापक या विस्तृत हो जाना अर्थ विस्तार कहलाता है। तैल-शब्द मूलत: तिल्ली के लिए प्रयुक्त होता था। परंतु आज मिट्टी का तेल, नारियल का तेल, पामतेल,मूँगफली का तेल या फूलों से बना भी तेल होता है। इसी प्रकार अन्य शब्द है - गिलास, प्रवीण (वीणा बजाने में उत्कृष्ट) कुशल (कुश तोडने में माहिर), गवेषणा आदि। अर्थ विस्तार आलंकारिक प्रयोग, सादृश्य, साहचर्य, सामीप्य आदि कारणों से होता है। अर्थ विस्तार की ओर भाषा की प्रवृत्ति कम होती है।

अर्थ संकोच यह अर्थविस्तार के विपरित है। जब शब्द अपना व्यापक क्षेत्र छोड़कर सीमित अथवा संकुचित रूप में प्रयुक्त होने लगता है तब अर्थ संकोच होता है।

सभी भाषाओं में अर्थ संकोच की प्रवृत्ति मिलती है। संस्कृत का 'मृग' शब्द जो पहले पशुसामान्य के अर्थ में चलता था। बाद में केवल हिरन के अर्थ में सीमित हो गया। मृग शब्द का अर्थ संकोच हो गया।

अन्य उदाहरण है दुर्लभ,दुहिता, धान्य, श्राद्ध, सब्जी आदि। अर्थादेश में किसी शब्द के अर्थ में इतना अंतर आ जाता है कि उस शब्द का मूल अर्थ ही समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर नया अर्थ आ जाता है।

अर्थादेश के अन्तर्गत अच्छे और बुरे अर्थ परिवर्तन के आधार पर दो दिशाएँ बनती है। अर्थापकर्ष और अर्थोत्कर्ष।
अर्थोत्कर्ष- जब शब्दो के अर्थ अच्छे से बुरे बन जाते है या अर्थ गिर जाता है तो वह अर्थोपकर्ष कहलाता है। जैसे-गर्भिणी (स्त्री के लिए) गाभिन (पशु के लिए) ग्रामिण (देहाती) गँवार (मूर्ख) प्रयुक्त होते है। महाजन, गुरू दादा भी इसी के उदाहरण हैं। अर्थोत्कर्ष का अर्थ है अर्थ का उत्कर्ष-। पहले निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होनेवाले शब्द कालांतर में उच्च तथा अच्छे अर्थ प्रयुक्त होने लगता है। साहसी शब्द संस्कृत में दुराचारी, डाकू के लिए प्रयुक्त होता था जो बाद में हिम्मतवाला के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा।

Jain Vishva Bharati Institute Deemed University Ladnun

अर्थ परिवर्तन की तीन दिशाओं में शब्द का सफर किन परिस्थितयों में कैसा होता है, इनके पीछे कौनसे कारण हो सकते हैं यह भी भाषावैज्ञानिकों द्वारा जानने का प्रयास किया गया है। ये अर्थ परिवर्तन के कारण कहलाए जाते हैं। कुछ प्रमुख हैं -

बल का अपसरण, ड्रेस,पीढी परिवर्तन, परिवेश परिवर्तन (भौगोलिक,सामाजिक,भौतिक, राजनीति) सामान्य व्यवहार में आनेवाले शब्द, अर्थगत अनिश्चितता, अंधविश्वास, लाक्षणिक अथवा आलंकारिकता का प्रयोग व्यंग्य, तद्‌भवता अन्य भाषाओं से शब्द उधार लेना, नवीन वस्तुओं का नामकरण, अशोभन के लिए शोभन या सुश्राव्यता, सामान्य के लिए विशेष शब्द का प्रयोग, शब्दों के प्रयोग की अतिशयता के अलावा का अर्थपरिवर्तन घटित कहते हैं। इससे भाषा की अर्थशक्ति में नूतन प्राण संचरित होते है और सर्जनपक्ष के कारण आकर्षकता का आगमन होता है। सूक्ष्मतर अभिव्यंजना क्षमता भाषा में आने से भाषा प्रौढ हो जाती है।

4.6. अतिरिक्त अध्ययन के प्रश्न-

1) शब्द और अर्थ का संबंध सोदाहरण समझाईए।
2) अर्थ का स्वरूप बताते हुए अर्थ परिवर्तन की दिशाओं का सोदाहरण परिचय दीजिए।
3) अर्थपरिवर्तन के कारणों की चर्चा कीजिए।

टिप्पणियाँ लिखिए - 1) विलोमता 2) पर्यायता

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University) Ladnun